पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 18.06.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

महोबा पुलिस

जनपद महोबा की थाना चरखारी पुलिस टीम ने चोरी की 03 घटनाओं का किया खुलासा, चोरी का ट्रैक्टर व 02 मोटरसाइकिल के साथ चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर जनपद में चोरी/लूट की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार मय हमराम उ0नि0 रमेश कुमार यादव, उ0नि0 शुभम सिंह, हे0 कां0 देवीशरण, कां0 वीरेश्वर दत्त मिश्र व कां0 आर्यन सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आज दिनांक 18.06.2025 को थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र अन्तर्गत पचराहे से गोलाघाट की ओर जाने वाली सड़क के पास से एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देखकर तेज गति से भागने का प्रयास करने लगा। तत्परता से कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा ट्रैक्टर को कुछ दूरी पर रोक लिया गया। पूछताछ में चालक द्वारा अपना नाम वीर सिंह पुत्र टीका राम निवासी रूपनगर, चरखारी बताया गया। मौके पर वैध कागजात न दिखा पाने एवं ट्रैक्टर पर अंकित संदिग्ध नंबर के आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने ट्रैक्टर को घाटमपुर, कानपुर से चोरी कर लाना स्वीकार किया। पकड़े जाने के डर से उसने ट्रैक्टर पर अपनी मोटरसाइकिल का नंबर अंकित कर दिया था।

अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा चरखारी क्षेत्र में झाड़ियों से चोरी की गई दो मोटरसाइकिलें 1. प्लेटिना, 2. सुजुकी हयाते भी बरामद की गईं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों वाहनों के संबंध में थाना चरखारी एवं थाना कबरई में पूर्व से ही चोरी का अभियोग पंजीकृत है।

प्लेटिना वाहन सं0 UP91V0178 व इंजन नं0 PFXPPL06919 वाहन स्वामी रुस्तम पुत्र दिलदार खान निवासी ग्राम बिहूनी कला तहसील मौदहा हमीरपुर के नाम से पंजीकृत है। जिसके सम्बन्ध में थाना चरखारी में मु0अ0सं0 81/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है, जिसको अभियुक्त ने दिनाँक 23.04.2025 को एक मोटरसाइकिल प्लेटिना वाहन सं0 UP91V0178 चरखारी से महोबा जाने वाले रोड मे जार्डनगंज के पास दाहिनी ओर बने पेट्रोल पम्प के पास से चोरी किया था।

सुजुकी हयाते वाहन सं0 UP954F3128 व इंजन नं0 F4E6131508 जो वाहन स्वामी राज कुमार पुत्र स्वामी दीन निवासी ग्राम उटियाँ पोस्ट धरौन महोबा के नाम से पंजीकृत है। जिसके सम्बन्ध में थाना कबरई में मु0अ0सं0 174/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत है। जिसको अभियुक्त ने दिनाँक 13.06.2025 की रात मे कबरई में एक दुकान के पास से चोरी किया था। दोनो मोटरसाइकिलों को अभियुक्त ने चरखारी मुस्करा रोड पर शिवपाल के क्रेशर के पास झाँड़ियो में छिपा रखा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

वीर सिंह पुत्र टीकाराम उम्र 38 वर्ष निवासी मु0 रूपनगर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामद वाहनों का विवरण:

- ट्रैक्टर (बिना वैध नंबर),
- प्लेटिना मोटरसाइकिल (वाहन सं. UP91V0178),
- सुजुकी हयाते मोटरसाइकिल (वाहन सं. UP95F3128)

बरामद मोटरसाइकिल एवं बरामद ट्रैक्टर व ट्रैक्टर पर कूटरचित छल करने के प्रयोजन से मोटरसाइकिल का फर्जी नम्बर अंकित कर असली के रूप में प्रयोग करने के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में पंजीकृत मु.अ.सं. 81/25 में धारा 303(2), 317(2), 318(2), 336(2), 340(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. उ0नि0 रमेश कुमार यादव
3. उ0नि0 शुभम सिंह
4. हे0 कां0 देवीशरण
5.कां0 वीरेश्वर दत्त मिश्र 6.कां0 आर्यन सिंह

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 18.06.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा रिक्रूटों के जनरल प्रशिक्षण हेतु पुलिस लाइन प्रशिक्षण केंन्द्र का भ्रमण कर प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए की गयी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उ0प्र0 पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती-2023 में चयनित अभ्यार्थियों (रिक्रूट आरक्षियों) के प्रशिक्षण के दृष्टिगत प्रशिक्षण को सूचारु, व्यवस्थित व प्रभावी ढंग से संचालित कराये जाने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन महोबा अवस्थित बैरक, मेस/भोजनालय, क्लास रूम, शौचालय इत्यादि का निरीक्षण किया गया साथ ही प्रशिक्षु आरक्षियों के आगमन, आवासीय ठहराव, खानपान व शारीरिक प्रशिक्षण से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया। इस दौरान पायी गयी आंशिक कमियों को तत्काल दुरुस्त कर उनको पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

जनपद महोबा में जेटीसी प्रशिक्षण हेतु क्रमशः रायबरेली, भदोही एवं जनपद जौनपुर से रिक्रूटों को आना है अभी तक कुल 255 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा अपना आगमन जनपद महोबा में करा लिया गया है।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षण/नगर श्री दीपक दुबे, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवकुमार, पीआरओ श्री विषय देव बुन्देला, प्रभारी परिवहन/एचसीएमटी श्री भानु प्रकाश सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना खरेला की पुलिस टीम ने
02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 18.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी द्वारा गठित उ0नि0 बृजकिशोर शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/25 धारा 110/115(2)/117(2)/331(6) BNS से सम्बन्धित व प्रकाश में आये 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.अनिल उर्फ राजा पुत्र रामभरोसे उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा 2.वीरेन्द्र पुत्र रामप्रकाश उम्र करीब 26 वर्ष निवासी पचपहरा मोड़ कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम शिवहार थाना खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. उ0नि0 बृजकिशोर शुक्ला
2. हे0कां0 योगेन्द्र सिंह
3. कां0 शिवबाबू

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.अनिल उर्फ राजा पुत्र रामभरोसे उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा

2.वीरेन्द्र पुत्र रामप्रकाश उम्र करीब 26 वर्ष निवासी पचहरा मोड़ कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा